भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *29

(04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवासों का लक्ष्य

***29. श्री शंकर लालवानी:**

श्री तापिर गाव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 2024-25 के लक्ष्यों के भाग के रूप में दस लाख आवासों की मंजूरी देने का कोई लक्ष्य रखा है और यदि हां, तो देश में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन पर इसके संभावित प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) झारखंड के हज़ारीबाग और रामगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र , हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र , ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र , बिहार के वाल्मिकी नगर तथा महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित देश के प्रत्येक राज्य में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर आवंटित संसाधनों के दुरुपयोग की निगरानी और रोकथाम के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्रों सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा और उनकी स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत कोई आवास स्वीकृत किए हैं; और

(च) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिहार के वाल्मिकी नगर और महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित राज्यवार कुल कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

लोक सभा में "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवासों का लक्ष्य " के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *29 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है , ताकि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। दिनांक 29.01.2025 तक की स्थिति अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3.79 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है , जिनमें से 3.28 करोड़ आवासों को स्वीकृति दे दी गई है और 2.69 करोड़ आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए "वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन" के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के दौरान 18 राज्यों अर्थात असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को **84,37,139** आवासों का लक्ष्य आवंटित किया है। इन 84,37,139 आवासों में से **46,56,765** आवासों का लक्ष्य दिसंबर, 2024 और जनवरी 2025 के महीनों में 9 राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक को आवंटित किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आवंटित लक्ष्य और स्वीकृत आवासों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध- I में दिया गया है।

पीएमएवाई-जी योजना ने किफायती आवास की पहुंच में सुधार करके ग्रामीण भारत पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला है और इसने ग्रामीण आवास परिदृश्य को बदलने , गरीबी कम करने, जीवन स्तर में सुधार करने और ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएमएवाई-जी की योजना का मूल्यांकन विभिन्न स्वतंत्र संस्थानों जैसे राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान, नीति आयोग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान आदि के माध्यम से भी किया गया है।
(ख) मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत आवासों की स्वीकृति एवं निर्माण पूरा करने की गति बढ़ाने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

I. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन
II. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ।

III. नवीनतम आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आवासों की मंजूरी और निर्माण पूरा होने तक की सूक्ष्म निगरानी।

IV. माननीय मंत्री, सचिव और उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा

V. उन आवासों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना जिनके लिए निधियों की तीसरी या दूसरी किस्त जारी की गई है

VI. उच्च लक्ष्य वाले राज्यों की अलग समीक्षा

VII. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर निधि जारी करना

VIII. पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई

झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के वाल्मीकि नगर और महाराष्ट्र के पालघर जिले में योजना की प्रगति निम्नानुसार है:

[इकाई संख्या में]

राज्य/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/जिले का नाम		**राज्य द्वारा आवंटित लक्ष्य**	**स्वीकृत आवास**
बिहार	पश्चिमी चंपारण*	1,85,938	1,66,617
हरियाणा	भिवानी	1,487	1,057
	महेंद्रगढ़	2,314	856
झारखंड	रामगढ़	30,320	22,479
	हजारीबाग	76,905	58,787
महाराष्ट्र	पालगढ़	99,786	85,357
ओडिशा	नबरंगपुर	1,36,702	1,36,374

* वाल्मीकि नगर के अंतर्गत आता है

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क (एफएफआई) के अनुसार, विभिन्न प्रशासनिक स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य में एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। शिकायतों का निवारण शिकायतकर्ता की संतुष्टि अनुसार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार का एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर नामित अधिकारी को शिकायत/ परिवाद प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत /परिवाद का निवारण करना होता है।

विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त हो रही अनियमितताओं की शिकायतों के अलावा , जनता द्वारा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पोर्टल (pgportal.gov.in) पर भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय में सीपीग्राम्स अथवा किसी

अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों को निवारण के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा जाता है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली और सीएम हेल्पलाइन जैसे तंत्र भी शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध हैं। निधियों के दुरुपयोग से संबंधित अनियमिताओं और शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध- ।। में दिया गया है।

पीएमएवाई-जी के तहत निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए , लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली / प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से निर्माण लिंक्ड किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते / डाकघर खाते में सहायता राशि प्रदान की जाती है। आवास के निर्माण के हर निश्चित चरण में , लाभार्थी के साथ आवास की भू-संदर्भित और समय-मुद्रांकित की गई तस्वीर ली जाती है।

(ङ) और (च) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में बिहार के वाल्मीकि नगर और महाराष्ट्र के पालघर जिले में दिए गए लक्ष्यों और स्वीकृत आवासों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-।।। में दिया गया है।

अनुबंध- I

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवासों के लक्ष्य के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के नियत तारांकित प्रश्न संख्या 29 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पीएमएवाई-जी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आवंटित लक्ष्य, स्वीकृत आवासों का राज्यवार ब्यौरा

[इकाई संख्या में]

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा आबंटित लक्ष्य	स्वीकृत आवास
1	असम	5,59,951	1,64,212
2	बिहार	7,90,648	2,54,549
3	छत्तीसगढ़	11,65,315	6,79,283
4	गुजरात	2,99,011	2,23,570
5	हरियाणा	77,058	1,673
6	हिमाचल प्रदेश	92,364	69,305
7	झारखंड	4,19,947	90,507
8	केरल	1,97,759	29,997
9	मध्य प्रदेश	11,89,690	3,68,713
10	महाराष्ट्र	19,66,767	12,25,412
11	मणिपुर	7,000	0
12	ओडिशा	1,24,304	1,03,790
13	पंजाब	63,985	25,029
14	राजस्थान	4,98,468	1,61,523
15	तमिलनाडु	2,10,623	16,030
16	उत्तर प्रदेश	70,834	44,297
17	आंध्र प्रदेश	684	505
18	कर्नाटक	7,02,731	99,621
	कुल	**84,37,139**	**35,58,016**

अनुबंध- II

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवासों के लक्ष्य के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के नियत तारांकित प्रश्न संख्या 29 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

दिनांक 01.04.2016 से 30.01.2025 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अनियमितताओं और निधि के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	पिछला शेष	उक्त अवधि के दौरान प्राप्त	उक्त अवधि के दौरान लंबित	उक्त अवधि के दौरान निपटान किया गया
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	2	0	2
अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	2
असम	0	274	0	274
बिहार	0	451	2	449
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	28	1	27
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	0	8	0	8
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	0	8	0	8
हरियाणा	0	7	1	6
हिमाचल प्रदेश	0	5	2	3
जम्मू और कश्मीर	0	10	0	10
झारखंड	0	68	2	66
कर्नाटक	0	2	0	2
केरल	0	2	0	2
लद्दाख	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	327	2	325
महाराष्ट्र	0	74	1	73

मणिपुर	0	1	0	1
मेघालय	0	1	0	1
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	0	79	0	79
पुदुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	0	10	0	10
राजस्थान	0	55	0	55
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	84	0	84
तेलंगाना	0	3	0	3
त्रिपुरा	0	1	0	1
उत्तर प्रदेश	0	824	3	821
उत्तराखंड	0	16	0	16
पश्चिम बंगाल	0	59	0	59
कुल	**0**	**2401**	**14**	**2387**

अनुबंध- III

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवासों के लक्ष्य के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के नियत तारांकित प्रश्न संख्या 29 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में बिहार के वाल्मीकि नगर और महाराष्ट्र के पालघर जिले में दिए गए लक्ष्यों और स्वीकृत आवासों का राज्यवार ब्यौरा

[इकाई संख्या में]

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा आबंटित लक्ष्य	स्वीकृत आवास*
1	अरुणाचल प्रदेश	17,326	32,168
2	असम	21,39,258	18,05,777
3	बिहार	20,34,039	19,20,093
4	छत्तीसगढ़	14,02,124	9,18,612
5	गोवा	0	95
6	गुजरात	5,93,301	5,23,799
7	हरियाणा	85,506	10,417
8	हिमाचल प्रदेश	1,13,445	89,742
9	जम्मू और कश्मीर	2,48,970	2,64,804
10	झारखंड	11,62,205	8,54,438
11	केरल	2,10,855	47,570
12	मध्य प्रदेश	29,62,878	23,68,362
13	महाराष्ट्र	26,00,648	20,22,034
14	मणिपुर	89,955	91,649
15	मेघालय	1,50,140	1,54,657
16	मिजोरम	21,867	23,452
17	नागालैंड	38,691	44,588
18	ओडिशा	12,00,621	12,85,100
19	पंजाब	79,688	42,738
20	राजस्थान	10,86,749	8,20,523
21	सिक्किम	321	320
22	तमिलनाडु	4,64,231	3,72,070

23	त्रिपुरा	3,28,240	3,28,954
24	उत्तर प्रदेश	22,39,301	22,16,265
25	उत्तराखंड	56,630	56,039
26	पश्चिम बंगाल	21,51,508	22,14,956
27	अंडमान और निकोबार	2,492	2,211
28	दादरा और नगर हवेली	5,941	5,970
29	लक्षद्वीप	0	0
30	आंध्र प्रदेश	1,79,594	1,81,227
31	कर्नाटक	7,81,949	2,16,561
32	लद्दाख	1,576	1,776
	कुल	**2,24,50,049**	**1,89,16,967**

***लक्ष्य वर्ष से पृथक**

राज्य	ज़िला	राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य	स्वीकृत आवास
बिहार	**पश्चिमी चंपारण**	76,162	74,220
महाराष्ट्र	**पालघर**	74,386	62,041

*****